संख्या-08/I/1218927/2026/001-71-2002(099)/1/2022

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक-28.01.2026**

विषय:-संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में 12 अतिरिक्त बेड के विस्तारीकरण कार्य पर जी0एस0टी0 की पुनरीक्षित दर 12 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत दर से जमा की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/सिविल/हास्पिटल/ई(ए0ए0)एच-01/20-21/631/2025, दिनांक 30.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में सी0सी0एम0 (क्रिटिकल केयर मेडिसिन) विभाग में 12 अतिरिक्त बेड के विस्तारीकरण कार्य पर जी0एस0टी की पुनरीक्षित दर 12 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत होने के फलस्वरूप अन्तर धनराशि रू0 21.78 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-140/2022/I/238148/2022, दिनांक 22.11.2022 द्वारा एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में 12 अतिरिक्त बेड का विस्तारीकरण का कार्य किये जाने हेतु परियोजना की लागत रू0 571.49 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि रू0 285.74 लाख तथा शासनादेश संख्या-110/2023/I/391274/2023 दिनांक 20.09.2023 द्वारा परियोजना की 5 प्रतिशत की धनराशि रोकते हुए धनराशि रू0 257.17 लाख, इस प्रकार अब तक धनराशि रू0 542.91 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में संजय गॉधी संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में सी0सी0एम0 (क्रिटिकल केयर मेडिसिन) विभाग में 12 अतिरिक्त बेड के विस्तारीकरण कार्य पर जी0एस0टी की पुनरीक्षित दर 12 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत होने के फलस्वरूप अन्तर धनराशि रू0 21.78 लाख (रुपये इक्कीस लाख अठहत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों व अन्य निर्माण के संबंध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। अन्य कार्य हेतु व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. शासनादेश संख्या-140/2022/I/238148/2022 दिनांक 22-11-2022 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. अवमुक्त जी0एस0टी0 की धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैक खाते आदि में नही रखा जायेगा।
6. संस्थान के वित्त नियन्त्रक द्वारा जी0एस0टी0 मद में व्यय की गयी धनराशि से संबंधित चालानों तथा आंकड़ो का पुनः मिलान कर लिया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 मद में वास्तविक भुगतान की गयी धनराशि की सीमा तक ही कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त किया जाये।
7. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहंरित किया जायेगा तथा बिल पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 21,78,000 (रुपये इक्कीस लाख अठहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव

संख्या-08/I/1218927/2026/001-71-2002(099)/1/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा् शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक, उ0प्र0रा0नि0नि0लि0 लखनऊ
9. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in